भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website:www.bsgmp.net, E_mail: bsgmadhypradesh@gmail.com , Phone ✆: 2661263, Fax: 2737446

क्रमांक/9845 /रामु/गति0/2014 भोपाल, दिनांक 7/7/2014

प्रति,

श्री/श्रीमती/सुश्री ....

....

....

विषय :– राज्य स्तरीय स्काउट–गाइड बैज समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ।

सन्दर्भ :– राज्य मुख्यालय भोपाल का पत्र क्र0/6823–24/रामु/गति/2014 दि0 14/2/2014

–0–

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रानुसार राज्य स्तरीय स्काउट–गाइड बैज समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 28 मार्च 2014 को राज्य मुख्यालय भोपाल पर किया गया, जिसका कार्यवाही विरण संलग्न पत्रानुसार आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण ।

राज्य सचिव 7/7
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/9846 /रामु/गतिविधि/2014 भोपाल, दिनांक 7/7 /2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1 राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।

2 संयुक्त राज्य सचिव राज्य मुख्यालय भोपाल ।

3 राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।

4 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) संभागीय कार्यालय .... ।

5 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड) जिला .... ।

6 जिला सचिव/जिला संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) जिला संघ........................।

7 समस्त कक्ष प्रभारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।

राज्य सचिव 7/7
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

E:\Activity_Gatividi\ACTI-G2014-2015\activiti scout.docx/sahu-140

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल
Website:www.bsgmp.net, E_mail:bsgmadhypradesh@gmail.com Phone ☐☐: 2661263, Fax: 2737446

राज्य स्काउट–गाइड बैज उपसमिति बैठक दिनांक 28 मार्च 2014

कार्यवाही विवरण

दिनांक 28 मार्च 2014 को राज्य स्तरीय स्काउट–गाइड बैज उपसमिति की बैठक का आयोजित की गई इसमें निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे–

1	श्रीमती सी0के0उपाध्याय,	राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)
2	श्री बी0एल0शर्मा	प्र0राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)
3	श्री आर0एन0तिवारी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
4	श्रीमती आशा सिंह	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
5	श्री आर0के0तिवारी	लीडर ट्रेनर (रोवर)
6	सुश्री पुष्पापिल्ले	लीडर ट्रेनर (बुलबुल)
7	सुश्री नुसरत चौधरी	लीडर ट्रेनर (रेंजर)

श्रीमती सी0के0उपाध्याय राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) द्वारा पिछली बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि–

1 जिलो में बैज समिति गठित कर बैठक आयोजित की जावे एवं बैठक की कार्यवाही विवरण राज्य मुख्यालय को भेजी जावे ।

2 प्रत्येक विषयों पर स्वतंत्र परीक्षकों की नियुक्ति कर प्रत्येक स्तर के जांच शिविरों इनकी सेवायें ली जावे । संबंधित विषय के परीक्षक ही जॉच लेकर टेस्टकार्ड पर हस्ताक्षर करेगें अतः प्रत्येक दलों तक स्वतंत्र परीक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जावे ।

3 जिला स्तर के जांच शिविरों में निम्न कार्यवाही आवश्यक है–

   1 यूनिफार्म, टेस्टकार्ड, प्रथम सोपान का प्रमाण–पत्र अनिवार्य है ।

   2 ए0एस0ओ0सी0 व उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि निरीक्षण हेतु शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो ।

   3 दल के पास एडवांसमेन्ट का समस्त रिकार्ड संधारित हो इस ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 विशेष रूप दल विजिट के समय ध्यान देवे ।

   4 प्रथम सोपान प्रमाण–पत्र प्राप्त स्काउट–गाइड को द्वितीय सोपान जांच शिविर में सम्मिलित करावें एवं एडवांसमेन्ट पत्रक पर प्रमाण–पत्र क्रमांक अंकित की जावे एवं फोटोप्रति भी प्राप्त करें ।

   5 डी0ओ0सी0 प्रथम सोपान की सूची विद्यालयों से प्राप्त कर एडवांसमेन्ट का परीक्षण उपरान्त द्वितीय सोपान शिविर में सम्मिलित करायेगें एवं टेस्टकार्ड का परीक्षण किया जावे ।

4 ए0पी0आर0ओ0 भाग–2 / 3 में दिये गये नियमों एवं राज्य मुख्यालय द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का` कड़ाई से पालन करें ।

5 रोवर–रेंजर एडवांसमेन्ट के लिये प्रवीण का प्रशिक्षण जिला स्तर पर एवं जांच संभाग स्तर पर की जावे ।

6 कब–बुलबुल के एडवांसमेन्ट के जिला द्वारा ब्लाक/संकुल स्तर दिवसीय हॉलीडे केम्प आयोजित किये जावे जिसमें स्वयं के टिफिन (लंचबॉक्स) के साथ बुलाकर केम्प किये जावे ।

7 जिले में समितियों का गठन कर बैठक आयोजित कर प्रत्येक स्तर के बैठकों का कार्यवाही विवरण जारी किया जावे एवं लिये गये निर्णय पर कार्यवाही करें तथा कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजे ।

निर्देश –

1 द्वितीय सोपान जांच शिविर हेतु परीक्षकों की व्यवस्था संबंधित संभाग के ए0एस0ओ0सी0 करेगें इस हेतु स्वतंत्र परीक्षकों की सूची राज्य मुख्यालय निर्धारित फार्मेट में सूची जिलो से प्राप्त करे । प्रतिवर्ष यह व्यवस्था बनाये रखें ।

2 द्वितीय सोपान जांच शिविर में प्रथम सोपान तक के एडवांसमेनट, प्रमाण पत्र व टेस्टकार्ड का परीक्षण उपरान्त पात्र स्काउट–गाइड को ही जांच शिविर में सम्मिलित करावें ।

3 प्रत्येक स्तर के शिविरों में संभाग/राज्य मुख्यालय के पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से होगें ।

4 राज्य मुख्यालय के अनुमति से ही शिविर आयोजित किये जावे एवं शिविर में संकलित राशि राज्य मुख्यालय द्वारा नियुक्त संचालक के पास जमा करायी जावें । शिविर संचालक का दायित्व है कि समस्त प्रतिवेदन अपने प्रमाणीकरण के साथ 15 दिवस में प्रस्तुत करे ।

5 कब–बुलबुल के एडवांसमेन्ट के जिला द्वारा ब्लाक/संकुल स्तर एक दिवसीय हॉलीडे केम्प आयोजित किये जावे ।

6 जिला स्तर पर ओपन रोवर–रेंजर दल का गठन करें ।

7 स्वतंत्र परीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है । नियुक्त स्वतंत्र परीक्षको की सेवायें प्रत्येक स्तर की जांच शिविरों में ली जावे । जिस विषय के परीक्षक नियुक्त किये गये वे ही उसकी विषय का जांच लेकर टेस्टकार्ड पर तिथि सहित हस्ताक्षर करें ।

8 जिले में प्राप्त चार्टर एवं वारंट की जानकारी के लिये रजिस्टर संधारित करें ।

राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)	7/7/2014 राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश	भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य मुख्यालय भोपाल	राज्य मुख्यालय भोपाल